2/7/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप० विपक्षी 4,5 अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई। उपस्थित नहीं हुए, अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण के निवेदन

2020/00150 पर प्रकरण में तहसीलदार से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गयी

संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरुद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर० टी० ए० ---- लगाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.08.09 16:04:47 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्र. पुज 91/2021 (2021/00150)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रतनलाल वि.स. रमेश

हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मौका रिपोर्ट एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट स्पष्ट एवं उचित प्रतीत होती है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ~~xxx~~ मय रिपोर्ट तहसीलदार स्वीकार किया जाकर, प्रार्थीगण की ग्राम सोनगरों की खेडी पटवार हल्का घोघुन्दो स्थित आराजी संख्या 18, 45/366, 50/367 कीता 3 कुल रकबा 0.97 हे. पर आने जाने के लिए, विपक्षीगण की आराजी संख्या 45/365 रकबा 0.50 मे से 0.0160 हे. भूमि की कीमत 15800.00 अक्षरे पन्द्रह हजार आठ सौ रुपए का भुगतान विपक्षीगण खातेदारान को किए जाने पर, आ.नं. 45/365 रकबा 0.0160 हे. भूमि को बिलानाम दर्ज कर किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं प्रार्थीगण उक्त राशि 15800=00 रुपए का भुगतान विपक्षीगण को करने हेतु उनके नाम के हिस्सेनुसार राशि के ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करे।

ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार वल्लभनगर को भिजवाये जावे। राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है की प्रति तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात प्रस्तावित रास्ते की भूमि को राजस्व रिकार्ड मे बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा अनुसार रिकार्ड तरमीम किया जावे। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Bishnoi
Date: 2022.08.09 16:04
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	प्रा.वाद 91/2020 (2020/00150) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रतनलाल V/S रमेश
	प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण मय नकल प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। विपक्षीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सोनगरो की खेड़ी स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 18, 45/366, 50/367 कीता 3 कुल रकबा 0.97 हे. पर जाने-आने हेतु मौके एवं रेकार्ड अनुसार कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की आराजी संख्या 45/365 रकबा 0.50 हे. भूमि के पूर्वी दिशा के सहारे-सहारे 10 फीट चौड़ा रास्ता चाहा जा रहा है, जो निकटतम एवं लघुत्तम तथा इससे किसी प्रकार का से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है। आरा.नं. 45/365 रकबा 0.50 हे. भूमि शामलाती खाते से रमेश, भगीरथ, श्यामलाल, लाली, काली पिता रूपलाल, धन्नी पत्नी रूपलाल 1/3 हरिराम, मोहन पिता रमेश 2/3 आदि सा बस्ती के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 40×4=160 वर्गमीटर अर्थात 0.0160 हे. बनता है, जिसे लाल स्याही से नक्शे में दर्शाया गया है। ... प्रति कीमत वर्तमान DLC दर ... प्रति एयर के हिसाब से 0.0160 ... के दो गुना 15800.00 रुपए बनती है ... लगातार (श्याम सुन्दर विश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sund Bishnoi
Date: 2023.08.09 16:04:47 IST
Reason: SelfAttested

प्र॰ पत्र 91/2020 (2020/00150)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रतनलाल vs रमेश

इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सोनगरों की खेडी प॰ह॰ धोलुन्डी (स्थित आराजी संख्या 18 रकबा 0.08 हे. 45/366 रकबा 0.66 हे॰, 50/367 रकबा 0.23 हे॰ कुल कीता 3 कुल रकबा 0.97 हे॰ भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर आने के लिए कदीमी समय से जो आम रास्ता सोनगरों की खेडी से खुंटिया की तरफ जाता है उस आम रास्ते पर आ॰नं॰ 45 स्थित है, इसी आराजी के पूर्वी मेड पर कदीमी समय से कृषि आराजीयात में आने बैलगाडी ट्रेक्टर, व अन्य कृषि उपकरणों का इसी रास्ते के जरिए उपयोग - उपभोग होता रहा है। विपक्षीगण ने कदीमी रास्ता आ॰नं॰ 45 के पूर्वी कोने पर होकर वर्तमान आ॰नम्बर 45/365 में होकर प्रार्थीगण की आराजीयात पर जाता रहा है, और रास्ता का उपभोग बटवाडा हो जाने के बाद भी प्रार्थीगण करते चले आ रहे है। लेकिन विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को कांटों की बाड व पत्थर डालकर अवरूद्ध कर दिया है। जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिए विपक्षीगण की आ॰नं॰ 45/365 रकबा 0.50 हे॰ में से 10 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को दिलाते हुए, राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में इसी अनुसार इन्द्राज किए जाने की ... प्रदान कराया जावे, प्रार्थीगण ... रेट की राशी जमा कराने को तत्पर ... लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Bishnoi
Date: 2022.08.09 16:04:47
Reason: SelfAttested